न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः—239/13 (आरसीएमएस नं. 2015/00044)

1. भींवाराम उम्र लगभग 60 वर्ष,
2. रामलाल भामू एडवोकेट उम्र लगभग 56 वर्ष,
3. रामेश्वर प्रसाद उम्र लगभग 48 वर्ष,
4. जवाहर लाल एडवोकेट उम्र लगभग 45 वर्ष, पुत्रान स्व. जीवणराम, जाति जाट, निवासी प्रधानजी की ढाणी, ग्राम तिबारिया पोस्ट बस्सी नागा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
5. डॉ0 कुसुम चौधरी पत्नी स्व. हरीश चौधरी उम्र लगभग 40 वर्ष हाल निवासी प्लॉट नम्बर 59 ए राजेन्द्र नगर सिरसी रोड़, जयपुर।
6. कु0 भानुजा उम्र लगभग 16 वर्ष नाबालिंग हाल अध्ययनरत गीतांजली मेडिकल कॉलोज, उदयपुर, राजस्थान।
7. कु0 दिशा उम्र लगभग 13 वर्ष नाबालिंग पुत्रीया. हरीश चौधरी जरिये संरक्षक माता डॉ कुसुम चौधरी निवासीयान प्लॉट नम्बर 59ए राजेन्द्र नगर सिरसी रोड़, जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जिला जयपुर, राजस्थान।
2. तेजाराम उम्र लगभग 75 वर्ष,
3. अर्जुन लाल उम्र लगभग 59 वर्ष,
4. श्याम सुन्दर उम्र 48 वर्ष, पुत्रान स्व. गोगराज चौधरी,
5. सुनील उर्फ खेमाराम उम्र लगभग 30 वर्ष पुत्र स्व. नानूराम समस्त जातियान जाट, निवासीयान प्रधानजी की ढाणी, ग्राम तिबारिया, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, राजस्थान।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा, मुख्यालय सांभरलेक जिला जयपुर, राजस्थान।

—— रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 06.11.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के आदेश दिनांक 22.07.2015 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि, विधान एवं पत्रावली तथ्यों के विपरित होने से निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 के तहत बाउण्ड्री के विवादों का निर्णय करने के प्रावधानों की पालन नही कर मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 4 श्यामसुन्दर के प्रार्थना पत्र पूर्व से खसरा नम्बर 55 की तरमीम 55/1 व 55/2 उत्तर व दीक्षिण में की गई है तथा पूर्व में पटवारी हल्का द्वारा उक्त

P.T.O.

नक्शे की खसरा नम्बर 55 की तरमीम सत्य प्रतिलिपि क्रमांक 5692 दिनांक 03.06.2010 अपीलान्ट द्वारा प्राप्त की है उसको छुपाते हुऐ नये सिरे से रेस्पोडेन्ट से साज कर नयी तरमीम की है, वह अवैध एवं क्षेत्राधिकार के बाहर होने से निरस्तनीय हैं।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि पूर्व में वाद संख्या 130/72 निर्णय दिनांक 05.11.1976 के अनुसार जो नामान्तरकरण संख्या 132 दिनांक 21.09.1977 के द्वारा नामान्तरकरण की पुश्त पर खसरा नम्बर 55/1 रकबा 32 बीघा 5 बिस्वा उत्तर की रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 के पिता गोगराज एवं खसरा नम्बर 55/2 रकबा 32 बीघा 5 बिस्वा दक्षिण साईड में अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 3 के पिता जीवण राम के मौके व कब्जेनुसार बाद नाप कर बराबर की है जिसको रेस्पोडेन्टगण ने अवैध रूप से अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 55/2 रकबा 32 बीघा 5 बिस्वा की पुश्तैनी मेढ को दक्षिण साईड में वर्तमान गलत तरमीम करके नक्शे में रकबा करीब 5 बीघा कम कर दिया, इस प्रकार पूर्व में जो उक्त निर्णय की अनुपालना में नामान्तरकरण संख्या 132 की पुश्त पर तरमीम को नजरअन्दाज कर नये सिरे से खसरा नम्बर 55 की तरमीम करने में अहम कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है इसिलये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को जो दिनांक 13.05.2015 को नोटिस हेतु जारी कर आगामी पेशी दिनांक 25.05.2015 दी गई है उन नोटिसो पर अपीलान्ट की फर्जी तामील खुले मकान पर चस्पांनगी से बताई गई है तथा उसमें एक गवाह गोरधन पुत्र सुखलाल गांव अगरपुरा पोस्ट जोबनेर बताया है, जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 का निकटत्तम रिश्तेदार है तथा गांव तिबारिया से उसका गांव करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा दूसरा गवाह शंकरलाल पुत्र भंवरलाल तिबारिया का केवल नाम पुश्त पर लिखा हुआ जिस पर हस्ताक्षर किये हुये नही है तथा शंकरलाल अपने आपको इस मामले की जानकारी नही होने का शपथ पत्र दे रहा है एवं अपीलान्ट रामलाल जो स्वयं अधिवक्ता के नोटिस के पीछे अंकित किया गया है कि आसामी घर पर मौजूद नही है, घर पर पत्नी मिली नोटिस लेने से मना किया एक प्रति खुले मकान पर चस्पा किया गया जबकि रामलाल एडवोकेट की पत्नी श्रीमती शान्ति देवी का स्वर्गवास दिनांक 03.09.2009 को ही हो चुकी है तथा इसी प्रकार अपीलान्ट डॉ0 कुसुम चौधरी, जो कि अलंकार महिला महाविधालय जयपुर में प्रिसिंपल है तथा विगत 10 वर्षो से प्लॉट नम्बर 59ए राजेन्द्र नगर सिरसी रोड़ जयपुर में निवास कर रही है, कुमारी भानुजा गीतांजली मेडिकल कॉलेज उदयपुर में पढ़ती है जबकि अपीलान्ट संख्या 5 डॉ0 कुसुम प्रधानजी की ढाणी तिबारिया में रहती ही नही है, केवल बार–त्यौंहार व शादी–विवाह के मौके पर ही गांव आती है तथा डॉ0. कुसुम की नाबालिंग पुत्री कुमार भानुंजा मेडिकल कॉलेज उदयपुर में अध्ययनरत है तथा प्रधानजी की ढाणी तिबारिया में कभी नही रही इस प्रकार तीनों मॉ–बेटीयों की तिबारियो के खुले मकान पर चस्पानगी से तामील कुनिन्दा द्वारा दिखाई गई है जो कतई फर्जी व कूटरचित तामील

P.T.O.

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 के नजीदीक रिश्तेदार, गिरदावर देवीलाल बांगडवा द्वारा उक्त तामील तथा अन्य तरमीम सम्बन्धित कुरेजात जोबनेर पटवार भवन तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 के मकान पर बैठकर तैयार की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की फर्जी तामील मानकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 128 एवं 131 के प्रावधानों की पालना नही करने से निरस्तनीय है, उक्त निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि उक्त अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22.07.2015 को अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में एकतरफा में पारित किया है जिसकी सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 19.08.2015 को अपीलान्ट को प्राप्त हुई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश तहसीलदार सांभरलेक जिला जयपुर दिनांक 22.07.2015 को पारित किया है वह निरस्त फरमाया जावें तथा खसरा नम्बर 55 की तरमीम पूर्ववत नामान्तरकरण संख्या 132 की पुश्त दर एवं सत्य प्रतिलिपि दिनांक 03.06.2010 के अनुसार दर्ज की जावे एवं उक्त प्रकरण में जिन राजस्व कर्मचारियों नें अधीनस्थ न्यायालय को मुगालता देकर गलत तथ्यों से प्रकरण को प्रस्तुत किया है उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 के अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि न्यायालय श्रीमान् द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश–41 नियम 27 पारित आदेश दिनांक 04.05.2016 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी प्रस्तुत होने के पश्चात् पक्षकारान क मध्य नाजीनामा हो जाने के कारण मण्डल के समक्ष विचाराधीन निगरानी को निस्तारित करते हुये निगरानी का निस्तारण कर दिया गया, पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने के पश्चात अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अवमानना संख्या 370/2016 बउनवानी भींवाराम व अन्य बनाम तेजाराम व अन्य को भी अपीलार्थीगण द्वारा खारिज करवा लिया गया, पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने के पश्चात् पक्षकारान ने आपसी सहमति से अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों से दिनांक 09.06.2017 व 10.06.2017 को फर्द मौका सीमाज्ञान करवाते हुये मौके पर आपसी सहमति व रजामंदी से पूवानुसार ही काबिज काश्त रहे, उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा भी उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार पक्षकारान के आराजी खसरा नम्बर 55 रकबा 64 बीघा 10 बिस्वा की तरमीम व जांच उपखण्ड अधिकारी के आदेश क्रमांक/विविध/2016/488 दिनांक 06.04.2016 के सम्बन्ध में पटवारी हल्का व गिरदावर सर्किल मय नायब तहसीलदार रेनवाल ने दिनांक 30.08.2016 को पक्षकारान की मौजूदगी में सभी पक्षों की सीमाज्ञान व तरमीम करते हुये सभी पक्षों को संतुष्ट किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील खारिज योग्य है।

P.T.O.

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 ने कथन किया है कि राजस्व मण्डल अजमेर में पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने के पश्चात् दोनों पक्षकारान मिलकर आराजीयात अधीन अपील बाबत सभी विवाद आपसी सहमति के निस्तारित कर लिये गये थे किन्तु अपीलार्थीगण द्वारा जानबुझकर मण्डल से प्राप्त पत्रावली को पुनः बदनियतिपूर्वक चालू करवाकर रेस्पोडन्टान को कोई साक्ष्य समर्थन एवं सुनवाई का अवसर प्रदत्त नही करते हुऐ पत्रावली को अन्तरिम बहस में कुर्करर करवा लिया है। उन्होने कथन किया है कि पक्षकारान के मध्य माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में आपसी राजीनामा हो जाने पर पक्षकारान के मध्य विचाराधीन विभिन्न प्रकरणों में से अधिकत्तर प्रकरणों को विड्रा किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट अपने उक्त राजीनामा के बाहर नही जा सकते है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 ने कथन किया है कि अपीलार्थीगण माननीय राजस्व मण्डल में दायर निगरानी में हुऐ राजीनामा से बाध्य है ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण हस्तगत अपील के माध्यम से अन्य कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजरं अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होताा है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 4 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत तरमीम कराने दिनांक 08.01.2014 को प्रस्तुत किया गया है जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को तलबी नोटिस जारी किये गये है किन्तु किसी भी अपीलार्थीगण का तलबी नोटिसेज की सम्यक् रूप से तामिल नही करायी गयी है उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण की तामिल मानकर अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.07.2015 पारित किया गया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण उसे उचित नही ठहराया जा सकता हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभरलैक द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.07.2015 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।